प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **150 / 2025** (अपील सूचना का अधिकार)

अल्पना जैन पत्नी अनिल जैन पताः 502, हींतावाला टॉवर, सेलीब्रेशन मॉल के पास, भुवाणा, उदयपुर

..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(शहर), उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

दिनांकः 14/01/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 23.07.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/150/25/935–36 दिनांक 09.09.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (शहर) द्वारा जरिये पत्रांकः एडीएमसिटी/सूअ/2025/255–57 दिनांक 16.09.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 29.07.2025 को प्राप्त आवेदन में चाही गई सूचना संबंधित अनुभाग से प्राप्त कर इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 238 दिनांक 04.09.2025 को प्रार्थी को स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित की जा चुकी है।

अपीलाण्ट द्वारा जरिये पत्र दिनांक 09.09.2025 से निवेदन किया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सूचना उनके पास होने के बावजूद आवेदक को उपरोक्त पास की प्रमाणित प्रति नहीं देकर फोटो प्रति दी है जो कानूनन उचित नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्रांक 238 दिनांक 04.09.2025 से सूचना उपलब्ध करवा दी गई है परन्तु सूचना अधिप्रमाणित नहीं है। सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा नियमानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की सील/मोहर लगाकर अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है, ऐसी स्थिति में पत्रावली पर अन्य कोई कार्यवाही की जाने की आवश्यकता नहीं है।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14-01-2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर उदयपुर